FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP-A

Crim-1

आ०दौ०। रिमा० 10/8/2020

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

सीताराम पुत्र ... बनाम ओम प्रकाश वगैरह

जाति ... सारिमान:- लाली वगै०

किस्म मुकदमा 225 आर.टी.एक्ट नम्बर 127/2020 सन् 20 (अजमेर)

2020/00127

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
22.7.20	श्री प्रदीप यादव एड० श्री यह अपील श्री प्रदीप यादव एडवोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के आदेश दिनांक 20.07.2020, प्रकरण संख्या 22/2020 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिस पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 10.08.2020 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
10.08.20	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन हेतु पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट की दिनांक 22.07.2020को एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध प्रस्तुत विरूद्ध प्रस्तुत किया तथा वाद पत्र के कथनो के अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 की सह खातेदारी/सह काश्तकारी की आराजीयात खाता नया संख्या 642 खाता पुराना सख्या 642 के खसरा नम्बर 2071 रकबा 0.04है0, खसरा नम्बर 2072 रकबा 0.12है0, 2083 रकबा 0.12है0, खसरा 2835/3080 रकबा 0.04 है. कुल किता 04 कुल रकबा 0.32 है0 वाकै ग्राम भूडोल तहसील अजमेर में अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात में अपीलांट का 1/6 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का 1/12 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को 1/12 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 का 1/12 हिस्सा निहित है जिस पर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है, जो कि जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 से स्वंय सिद्ध है। वादग्रस्त आराजीयात पर पक्षकारान संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है एवं आज दिनांक तक भूमि का न्यायिक बंटवारा नहीं हुआ है किन्तु रेस्पोडेन्टगण अपीलांट को उनके हिस्से की भूमि से महरूम करने के इरादे से खेत जोतने, बोने, निराई-गुड़ाई करने, फसल काटने तथा लाटने एवं लगान जमा कराते समय अर्थात प्रत्येक समय झगड़े व फसांद करना प्रारम्भ कर दिया है जिससे अब संयुक्त काश्त काश्त किया जाना संभव नही है इसलिए भूमि की किस्म, मूल्य व लगान के आधार पर रिकार्ड तथा मौके पर न्यायिक बंटवारा किया जाना वांछित हैं जिस हेतु उक्त उनवानी वाद वास्ते बंटवारा बहस अपीलांट विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण पेश किया जाना आवश्यक हुआ। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ताफैसला मूल वाद रेस्पोडेन्टस को पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.07.2020 को उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पर अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	निरन्तर --

P.T.O.

अजमेर
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

127/20/225

सीताराम vs ओमप्रकाश एवं अन्य

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	2020/सो127 श्री प्रदीप यादव श्री	

लगातार...

किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश दिये है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका विधिवत बाई मीट्स एण्डस बाउण्डस विभाजन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्टगण द्वारा भूमि पर निर्माण करने एवं भूमि का बेचान कर देने से अपीलांट के विधिक अधिकारों का गंभीर कुठाराघात होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 20.07.2020 नोन स्पीकिंग आदेश है जो आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस जबरन प्रार्थी/अपीलांट के कब्जे काश्त में हसतक्षेप करने एवं मौके व राजस्व रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन करने पर आमादा है जिसमें यदि वे सफल हो गये तो प्रार्थी/अपीलांट को को अपूर्तनीय आर्थिक एवं मानसिक क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलांट के पक्ष में है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांट के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने एवं वादगस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में 2104(1)डी.एन.जे.(राज.) पे 35, ए.आई.आर.2016 गुजराज 20 पेज 20, आर.आर.टी. 2017(1) पेज 406 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अपीलाधीन आदेश की प्रति व अपील मीमों व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रतीत है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के आदेश दिनांक 20.07.2020 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये है। अभिभाषक अपीलांट ने उक्त आदेश दिनांक 20.07.2020 की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। चुँकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण वास्ते इन्तजार नोटिस अप्रार्थी संख्या 01से 6 हेतु नियत हैं। जो कि एक विधिक प्रक्रिया है न कि आदेश इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नही है तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर निर्णित करें।

तत्पश्चात अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय),अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर